

**संख्या- 26 /2026/KG 31 /009-9-7099-173-2022**

प्रेषक,

**संजय कुमार तिवारी,**

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-7**

**लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2026**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा कांजी हाउस / कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 70 नगर निकायों में संचालित कांजी हाउस / कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल **₹2660.00लाख (₹ छब्बीस करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	गौशालाओं में रखे गये पशुओं की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि की समयावधि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	शाहजहाँपुर	नगर निगम शाहजहाँपुर	1307	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	118.93
2.	गाजियाबाद	नगर निगम गाजियाबाद	1869	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	170.07
3.	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, मुरादनगर	296	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	26.93
4.	हमीरपुर	नगर पंचायत सरीला	425	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	38.67
5.	हमीरपुर	नगर पंचायत, गोहाण्ड	395	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	35.94
6.	बदायूँ	नगर पालिका परिषद दातागंज	95	अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक	17.33
7.	बदायूँ	नगर पंचायत उसहैत	290	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	26.39
8.	बदायूँ	नगर पंचायत बजीरगंज	200	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	18.20
9.	बरेली	नगर पंचायत धौराटॉडा	210	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	19.11
10.	बरेली	नगर पंचायत, सिरौली	25	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	02.27
11.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत औरंगाबाद	196	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	17.83

12.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर	165	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	15.01
13.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, छतारी	60	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	05.46
14.	देवरिया	नगर पंचायत गौरीबाजार	176	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	16.01
15.	देवरिया	नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज	316	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	28.75
16.	बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती	382	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	34.76
17.	लखीमपुर खीरी	नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ	260	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	23.66
18.	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत खिमसेपुर	400	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	36.40
19.	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत, शमसाबाद	188	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	17.10
20.	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद, सिरसागंज	350	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	31.85
21.	फिरोजाबाद	नगर पंचायत, मक्खनपुर	235	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	21.38
22.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, पिहानी	490	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	44.59
23.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, सण्डीला	424	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	38.58
24.	हरदोई	नगर पंचायत, बेनीगंज	120	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	10.92

25.	जालौन	नगर पंचायत, ऊमरी	155	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	14.10
26.	जालौन	नगर पंचायत, माधौगढ	130	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	11.83
27.	हापुड	नगर पालिका परिषद, पिलखुवा	185	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	16.83
28.	एटा	नगर पंचायत, जैथरा	200	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	18.20
29.	मेरठ	नगर पंचायत, दौराला	194	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	17.65
30.	मेरठ	नगर पंचायत, खिवाई	130	जनवरी, 2026 से मार्च 2026 तक	05.78
31.	सीतापुर	नगर पालिका परिषद मिश्रित- नैमिषारण्य	269	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	24.47
32.	सीतापुर	नगर पंचायत, पैतेपुर	30	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	02.73
33.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत, सुवंसा बाजार	132	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	12.01
34.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत, मानिकपुर	250	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	22.75
35.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत, पट्टी	250	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	22.75
36.	सोनभद्र	नगर पंचायत, घोरावल	521	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	47.41
37.	भदोही	नगर पालिका परिषद, भदोही	442	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	40.22
38.	कौशाम्बी	नगर पंचायत, सिराथू	60	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	05.46

39.	कौशाम्बी	नगर पंचायत, अझुवा	210	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	19.11
40.	कौशाम्बी	नगर पंचायत, करारी	195	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	17.74
41.	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, शाहपुर	72	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	06.55
42.	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, जानसठ	80	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	07.28
43.	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, चरथावल	86	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	07.82
44.	बलरामपुर	नगर पंचायत, तुलसीपुर	300	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	27.30
45.	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	106	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	09.64
46.	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नूरपुर	115	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	10.46
47.	गोण्डा	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	310	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	28.21
48.	मैनपुरी	नगर पंचायत, कुरावली	65	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	05.91
49.	मैनपुरी	नगर पंचायत, करहल	114	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	10.37
50.	मैनपुरी	नगर पंचायत, घिरोर	324	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	29.48
51.	अलीगढ़	नगर पंचायत, विजयगढ़	60	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	05.46
52.	अलीगढ़	नगर पंचायत, पिसावा	190	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	17.29

53.	आगरा	नगर पंचायत, फतेहाबाद	55	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	05.00
54.	आगरा	नगर पंचायत, खेरागढ	485	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	44.13
55.	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	10428	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	948.94
56.	प्रयागराज	नगर पंचायत, सिरसा	475	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	43.22
57.	जौनपुर	नगर पंचायत, मड़ियाहूँ	268	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	24.38
58.	रायबरेली	नगर पंचायत, महराजगंज	200	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	18.20
59.	रायबरेली	नगर पंचायत, डलमऊ	500	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	45.50
60.	रायबरेली	नगर पंचायत, परशदेपुर	250	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	22.75
61.	रायबरेली	नगर पंचायत बछरावां	327	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	29.75
62.	अमेठी	नगर पंचायत, अमेठी	280	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	25.48
63.	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत बिस्कोहर	330	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	30.03
64.	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत, शोहरतगढ़	150	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	13.65
65.	बौदा	नगर पालिका परिषद, अतर्रा	265	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	24.11
66.	बलिया	नगर पंचायत, बौसडीह	42	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	03.82
67.	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत, रबूपुरा	305	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	27.75

68.	औरैया	नगर पंचायत, बिधूना	331	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	30.12
69.	गोरखपुर	नगर पंचायत, बाँसगांव	70	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	06.37
70.	फतेहपुर	नगर पंचायत, खागा	394	अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक	35.85
<b>कुल योग</b>			<b>29204</b>		<b>2660.00</b>

(₹ छब्बीस करोड़ साठ लाख मात्र)

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।
- (4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय, सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(12) नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निकायों की गौशालाओं में स्थित पशुओं की संख्या के आधार पर निर्गत की जा रही है। सम्बन्धित निकाय पशुओं की वास्तविक संख्या के आधार पर धनराशि का व्यय करेंगे और द्वितीय किश्त की मांग उसके समायोजन के आधार पर उपलब्ध करायेगे।

- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,60,00,000 ( रुपये छब्बीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 18-02-2026  
11:14:55 (संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

**संख्या- 26 /2026/KG 31(1) /009-9-7099-173-2022, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
6. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।